गये ऋणों के गैर आहरण का शेष निम्न लिखित है:-

(करोड़ रु०)

एजेंसी/संस्थान	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4
आई.डी.ए.	11083.75	13799.15	14121.54
आई.बी.आर.डी.	16725.82	14338.09	2636.25
आई.एफ.ए.डी.	136.17	157.65	148.76
ओ.पी.ई.सी.	72.53	61.22	56.26
ए.डी.बी.	4804.08	7264.50	6757.00
जोड़ :	32822.35	35620.61	23719.81

(घ) और (ङ) विभिन्न संस्थानों द्वारा एक विशेष उपयोग के लिये प्रारक्षित निधियां हेतु ऋणों के असंवितरित शेष पर वचनबद्धता प्रभार लगाये जाते हैं । पिछले चार वर्षों के दौरान अदा किये गये वचनबद्धता प्रभारों का विवरण निम्नलिखित है:-

(करोड़ रु०)

संस्थान	1990-91	91-92	92-93	93-94
आई.बी.आर.डी.	31.14	40.23	40.18	34.79
ए.डी.बी.	7.73	13.07	21.68	29.03
जोड़ :	38.87	53.30	61.86	63.82

(च) सरकार ने विदेशी सहायता के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये कई कदम उठाये हैं जैसे सभी क्षेत्रों में राज्य सरकारों को ए.सी.ए. के रूप में 100% जारी करना राज्य सरकारों को अग्रिम ए.सी.ए. के रूप में वार्षिक व्यय का 25% देना, जहां आवश्यक हो वहां परियोजनाओं के पुनर्निर्माण और परियोजनाओं को रद्द करना, परियोजनाओं का तीव्र मानीटरिंग और वित्त मंत्रालय में परियोजना मानीटरिंग यूनिट की स्थापना के साथ-साथ नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करना । प्राप्ति हेतु कार्य दल की सिफारिशों के आधार पर विश्व बैंक परियोजनाओं के लिये मानक बिड (बोली) दस्तावेज तैयार किये गये हैं साथ ही प्राप्ति की अड़चनों को सुलझाने के लिये निर्देश जारी किये गये हैं ।

महिला उद्यम निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता

1005. **श्री विलीप सिंह जूदेव :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में महिला उद्यमियों को "महिला उद्यम निधि" के अन्तर्गत कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ऐसी नई लघु उद्योग इकाइयों, जिनकी परियोजना 20 लाख रुपए से अधिक न हो, को कार्य पूंजी प्रदान करने के लिए कोई "सिंगल विंडो" योजना प्रारंभ की गई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इन इकाइयों के लिए कौन-कौन से मद आरक्षित किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सूचित किया है कि महिला उद्यम निधि योजना के परिचालन के पिछले चार वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में इसके अन्तर्गत महिला उद्यमियों को मंजूरी की गई इक्विटी जैसी सहायता निम्नानुसार है :—

संख्या	मंजूरी (रु० लाख में)	संवितरण (रु० लाख में)
47	44.00	31.00

(ग) और (घ) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अपनी शुरूआत से ही एकल खिड़की योजना परिचालित करता रहा है जिसके अन्तर्गत उसी एजेंसी द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र में स्थित एककों को अचल आस्तियों और कार्यशील पूंजी के लिए समिश्र सहायता दी जाती है। यह योजना राज्य वित्त निगमों (एसएफसी), दोहरे कार्य वाले राज्य औद्योगिक विकास निगमों (एसआईडीसी) और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा परिचालित की जाती है। समय-समय पर इस योजना के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया गया है। वर्तमान में 50 लाख रु० तक की कुल परियोजना लागत वाले लघु उद्योग क्षेत्र के एककों को एकल खिड़की योजना के अन्तर्गत कवर किया जाता है। अति लघु और लघु उद्योग क्षेत्र के नये एककों के अलावा योजना के अन्तर्गत अच्छी हालत वाले वर्तमान एककों के आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए भी सहायता दी जा सकती है। इसके अलावा सम्भावित रूप से अर्थक्षम रुग्ण एककों के पुनर्वास तथा वर्तमान लघु उद्योग कम्पनियों की मुक्त स्थिर परिसंपत्तियों को नए प्रवर्तकों द्वारा हाथ में लिये जाने हेतु एसएफसी/दोहरे कार्य करने वाली आईडीसी और वाणिज्यिक बैंकों की देय रकमों के भुगतान के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

(ङ) सिडबी ने सूचित किया है कि योजना के अन्तर्गत किसी मद को विशेषरूप से आरक्षित नहीं किया गया है और अत्यन्त लघु और लघु उद्योग क्षेत्र में सभी पात्र एककों को एकल खिड़की योजना के अन्तर्गत कवर किया गया है।

Foreign Banks Operating in the Country

1006. SHRI M. A. BABY:

SHRI E. BALANANDAN:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :—

(a) whether Government's decision to allow foreign banks operating in the country to acquire real estate can be a good source of income for them and repatriation of such funds five year from now by passing regulation to this effect; and

(b) whether there is any guarantee that they will not sell these estate for profits later on?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTY: (a) and (b) Reserve Bank of India (RBI) has intimated that foreign banks are allowed to acquire immovable property in India only for the purpose of undertaking banking business and for housing their employees. Under current regulations, the sale proceeds of immovable property sold by foreign banks cannot be repatriated abroad and the capital gains are required to be kept in separate reserve account.